



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-आर.जे.-अ.-19062026-273625
CG-RJ-E-19062026-273625

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3076]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 18, 2026/ज्येष्ठ 28, 1948

No. 3076]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 18, 2026/JYAISTHA 28, 1948

रेल मंत्रालय

(पश्चिम मध्य रेलवे)

अधिसूचना

कोटा, 16 जून, 2026

का.आ. 3198(अ).— केंद्रीय सरकार, रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 की धारा 2 के खंड (7क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लिखित उपखंड स्तम्भ (5) उल्लेखित जिलों के सम्बंध में मध्य प्रदेश राज्य में विशेष रेल परियोजना के स्तम्भ (2) के लिए भूमि अधिग्रहण के निष्पादन, अनुक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिये स्तम्भ (3) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिये सक्षम अधिकारी के रूप में प्रधिकृत किया जाता है।

सारणी

क्रम. सं.	परियोजना का नाम	सक्षम अधिकारी	उपखंड	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	“ग्वालियर - श्योपुरकलां रेल लाइन के गेज परिवर्तन एवं कोटा तक विस्तार से सम्बंधित श्योपुरकलां - कोटा नयी रेल लाइन परियोजना“	उपखण्ड अधिकारी, श्योपुर	श्योपुर	श्योपुर

[कम्प्यूटर न. 261304 फा.सं.ई.-पमरे-एचक्यू0निर्माण(भूमि)/1/2024-ओ/ओ सीएओ/सी/पमरे]
पंकज सोईन, मुख्य परियोजना प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS

(West Central Railway)

NOTIFICATION

Kota, the 16th June, 2026

S.O. 3198(E).— In exercise of the powers conferred by clause (7A) of Section 2 of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorizes the officers nominated in column (3) of the Table below as "Competent Authority" to perform the function as such authority under the said act with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette in respect of the Special Railway Projects in the State of Madhya Pradesh relating to Sub- Divisions mentioned in Column (4) Districts mentioned in Column (5) of the said table for the purpose of execution, maintenance, management and operation of land acquisition in such Railway Project.

TABLE

S.No	Name of Project	Competent Authority	Subdivision	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sheopurkalan - Kota New Rail line Project in connection with Gwalior - Sheopurkalan GC with extension to Kota as New Rail Line Project.	Sub Divisional Magistrate, Sheopur	Sheopur	Sheopur

[Computer No. 261304 F. No. E- WCR-HQ0CONS(LAND)/1/2024-O/o CAO/C/WCR]
PANKAJ SOIN, Chief Project Manager